न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़(जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना आरएएस

प्रकरण सं. 04 / 2018

रतनसिंह पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति सुनार (सोनी) उम्र 25 वर्ष निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

——अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक : 15 / 07 / 2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 5 केएएम–ए का मु0नं0 3 पत्थर नं0 325 / 389 के किला नं0 1ता16 की 4.048 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का सही वा वास्तविक नाम रतनसिंह पुत्र कुरड़ाराम है तथा समस्त दस्तावेजात जैसे पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में भी वादी का सही नाम रतनसिंह ही दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादी को बख्ताराम वल्द भीखाराम द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई थी उक्त नामान्तकरण के आधार पर जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) तैयार की गई तो उस समय जमाबन्दी में जो प्रविष्ठि इन्तकाल सम्बन्धी दर्ज की गई उसमें सहबन से वादी के सही नाम रतनसिंह के बजाय रतन कुमार दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम रतनसिंह है। उक्त त्रुटि सहवन से मानवीय भूलवश रिकार्ड तैयार करते समय हुई है। जिसे दुरूस्त किया जाकर गलत नाम रतन कुमार के स्थान पर वादी का सही नाम रतनसिंह दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि समक्ष न्यायालय से आदेश लेकर आओं बस यही बिनाय दावा एंव बिनाय मुखासत वाद पत्र है।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई उज्र एंव एतराज जाहिर नही किया। इसलिए उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु वाद वादी में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने का भार वादी स्वंय पर है।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है :

1. आया वादी वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज वादी का नाम रतन कुमार पुत्र कुरड़ाराम को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम रतनराम उर्फ रतनसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ——

Scanned by CamScanner

1. अनुतोष

वादी ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड रतनसिंह प्रदर्श–1, भामशाह कार्ड रेशमा माता रतनसिंह प्रदर्श–2, आधार कार्ड रतनसिंह प्रदर्श–2ए, राशनकार्ड रेशमा माता रतनसिंह प्रदर्श–3 पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। पेरोकार राज द्वारा उज्र एंव एतराज नही किये जाने पर जिरह शून्य की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

दौराने बहस वादी ने वादपत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 5 केएएम–ए का मु0नं0 3 पत्थर नं0 325/389 के किला नं0 1ता16 की 4.048 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी को बख्ताराम वल्द भीखाराम द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई थी उक्त नामान्तकरण के आधार पर जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) तैयार की गई तो उस समय जमाबन्दी में जो प्रविष्ठि इन्तकाल सम्बन्धी दर्ज की गई उसमें सहबन से वादी के सही नाम रतनसिंह के बजाय रतन कुमार दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर गलत नाम रतन कुमार के स्थान पर वादी का सही नाम रतनसिंह दर्ज किया जावे। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी के द्वारा भी कोई एतराज नही किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया कि वादी राजस्व रिकार्ड में हुई लिपकीय भूल को दुरूस्त किया जाकर चक 5 केएएम–ए का मु0नं0 3 पत्थर नं0 325/389 के किला नं0 1ता16 की 4.048 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में रतनकुमार के स्थान पर सही वा वास्तविक नाम रतनसिंह दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है तथा वाद में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई उज्र एंव एतराज जाहिर नही किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश ::

अतः वांद वादी डिक्री किया जाकर चक 5 केएएम–ए का मु0नं0 3 पत्थर नं0 325/389 के किला नं0 1ता16 की 4.048 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में रतनकुमार के स्थान पर सही वा वास्तविक नाम रतनसिंह उर्फ रतन कुमार दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 01 को दिया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner